

डिक्री व मुकदमें ईव्त्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 11/2025

दीपक बिश्नोई पुत्र श्री चन्द्रपाल जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

- 1 सावित्री देवी पत्नी स्व श्री शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2 चन्द्रपाल पुत्र स्व. श्री शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 3 कविता पुत्री स्व. श्री शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 4 मन्जु पुत्री स्व श्री शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 5 भावना बिश्नोई पुत्री श्री चन्द्रपाल जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 6 विश्वामित्र पुत्र स्व. श्री बंशीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 7 आनन्द प्रकाश पुत्र स्व श्री बंशीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 8 ज्ञानप्रकाश पुत्र स्व. श्री बंशीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 9 वेदप्रकाश पुत्र स्व. श्री बंशीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 10 सिलोचना पुत्री स्व. श्री बंशीराम पत्नी श्री रविन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तहसील अंबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
- 11 गीता पुत्री स्व. श्री बंशीराम पत्नी श्री जगदीश जाति बिश्नोई निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा
- 12 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिस्ताल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संदीप गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार 1000/- रुपये की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमाकरवाकर वादी के स्व. दादा शिवकुमार पुत्र कनीराम के नाम चक 2 एनटीडब्ल्यु-बी खाता संख्या 48/46 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में दर्ज आराजी एवं वादी के स्व.दादा के भाई स्व. बंशीराम पुत्र श्री कनीराम के नाम चक 2 एनटीडब्ल्यु-बी खाता संख्या 32/31 में दर्ज आराजी का वादी दीपक बिश्नोई पुत्र श्री चन्द्रपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर स्व. शिवकुमार एवं स्व. बंशीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...... नल...... मुब्लिक...... निल...... बाबत...... निल...... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...... अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...14.2.2025...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया